



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 मार्च 1941 (श0)
(सं0 पटना 148) पटना, सोमवार, 17 फरवरी 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी 2020

एसेओ० 80 दिनांक 17 फरवरी 2020 - बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनिबन्ध (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्या 879 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एसेओ०-ओ० 177 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 (समय-समय पर तथा संशोधित) में और भी निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (i) एवं (ii) के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संस्था रखे जायेंगे।

(i) अपर / असुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एफड सीईएस, पटना-1 (एन०ए०ए० का प्रगार), एवं

(ii) राज्य कर अपर आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये "राज्य कर अपर आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना" पद से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना में पदस्थानित प्ररीयराम राज्य कर अपर आयुक्त आंगरेत है।"

[(सं०-बिही-कर/जी०एस०टी०/विधि-20/2017-486)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 फरवरी 2020

एसेओ० 80 दिनांक 17 फरवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय राजपत्र के अनुच्छेद 355 के खण्ड (3) के अर्धीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०-बिही-कर/जी०एस०टी०/विधि-20/2017-486)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th February 2020

S.O. 86, Dated the 17th February 2020--In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 123 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the notification of the Commercial Taxes Department, S.O. No. 177, dated the 21st September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 879, dated the 21st September, 2017 (as amended from time to time) is further amended, namely:-

In the said notification for serial no. (i) & (ii), the following serial nos. shall be substituted,

- (i) Additional/Joint Commissioner, CGST & CEx, Patna-1 (Holding Charge of NAA), and
- (ii) Additional Commissioner of State Tax, Central Investigation Bureau, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna.

For the purposes of this notification, the expression "Additional Commissioner of State Tax, Central Investigation Bureau, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna" means the senior most Additional Commissioner of State Tax posted in Central Investigation Bureau, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna."

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-20/2017-485)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 144-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>